न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/86/2023	2023/422	26.07.2023	11.12.2024

1. दशरथ पुत्र श्री अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम झारेडा तहसील व जिला अलवर राज0।

—अपीलाण्ट

बनाम

1. तहसीलदार अलवर जिला अलवर राज0।

— रेस्पाडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तह0 अलवर
दिनांक 28.01.2021

उपस्थितः—
01—श्री कबूल सिंह नरूका —वकील अपीलाण्ट
02—श्री दीपक मीना —राजकीय वकील रेस्पो0

निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार अलवर दिनांक 28.01.2021 प्रकरण सं0 33/2021 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि पटवारी हल्का गून्दपुर ने तहत अदालत तहसीलदार अलवर जिला अलवर राजस्थान में एक रिपोर्ट अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय की पेश की, कि ग्राम झारेडा के सम्वत 2077 हाल खसरा नम्बर 99 रकबा 0.06 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन चाह (सिवायचक भूमि) पर दशरथ पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम झारेडा द्वारा नाजायज कच्ची/पक्की टीनशेड एंव कूडी आदि डालकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर तहत अदालत तहसीलदार अलवर जिला अलवर राजस्थान में प्रकरण सं0 33/2021 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दर्ज किया गया तथा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट ने तहत अदालत में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया गया तथा मौखिक रूप से पैमायश कराने का निवेदन किया गया। उक्त प्रकरण का आलोच्य निर्णय दिनांक 28—01—2021 से निस्तारण किया जाकर अपीलाण्ट को धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अतिक्रमी मानकर बेदखल किए जाने व विवादित भूमि पर हुए अवैध निर्माण को बेदखल करने एंव अर्थदण्ड 50 रूपये से दण्डित कर अहकाम जारी करने के आदेश विधिविरुद्ध व बेजा तरीक पर पारित किए गए है। ग्राम झारेडा के सम्वत 2077 हाल खसरा नम्बर 99 रकबा 0.06 हैक्टेयर में से 0.01 हैक्टेयर किस्म गैरमुमकिन चाह(सिवायचक भूमि) पर मिन अपीलान्ट का कोई अनाधिकृत अतिक्रमण/कब्जा नहीं है, उक्त आराजी मिन अपीलान्ट की खातेदारी की आराजी में स्थित हैं. जिसके चारों ओर आबादी हैं, जिस पर मिन अपीलान्ट अपने पूर्वजों के समय से आज तक काविज चला आ रहा है तथा रिहायशी मकानात बना रखे हैं। मिन अपीलान्ट ने उक्त आराजी पर कोई नाजायज अतिक्रमण नहीं किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट से यह साबित नहीं होता है कि उक्त आराजी वास्तविक रूप से किस खसरा नम्बर में स्थित है। पटवारी हल्का ने मौके के खिलाफ बिना कोई पैमायश किये, अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 91 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट पेश की है। जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना जांच किए अपीलाण्ट के खिलाफ नोटिस जारी कर निर्णय पारित किया है। तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय मौके, कब्जे एवम राजस्व रिकार्ड के खिलाफ विधि विरूद्ध पारित किया है। उक्त विवादित आराजी पर मिन अपीलान्ट का कोई नाजायज कब्जा नहीं है. पटवारी हल्का द्वारा कोई पैमायश नहीं की गई है, कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट तैयार की गई है। मिन अपीलान्ट ने तहत अदालत में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश कर मौखिक रूप से मौके पर पैमायश कराने का निवेदन किया गया। लेकिन तहत अदालत ने कोई पैमायश नही करायी गई, ना ही कोई मौका निरीक्षण किया गया। तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट को दस्तावेजी सबूत वो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत

अति. कलक्टर (प्रथम)
अलवर
11/12/2024

करने व सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया गया। और विधिक प्रक्रिया एंव प्रावधानों के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर दिये, अपीलाधीन निर्णय पारित किया हैं। जो निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। यह कि तहत अदालत ने अपीलाधीन निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, पारित किया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है, कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य निर्णय न्यायालय तहसीलदार अलवर जिला अलवर राजस्थान दिनांक 28–01–2021 प्रकरण सं.33/2021 अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 अपास्त फरमाया जावे, तथा अपीलान्ट को नोटिस अर्न्तगत धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के भार से मुक्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार निर्णय किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपी0 खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का गून्दपुर अपीलाण्ट द्वारा आराजी खसरा नंबर 99 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन चाह (सिवायचक) में से 0.01 है0 पर कच्ची/पक्की टीनशेड एवं कूडी आदि डालकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है किन्तु वकील अपी0 द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि पटवारी हल्का ने मौके पर कोई पैमाईश नहीं की है तथा पटवारी की रिपोर्ट से साबित नहीं होता है कि उक्त आराजी वास्तविक रूप से किस खसरा नंबर में स्थित है। पत्रावली एवं समस्त दस्तावेजात के अवलोकन से विवादित रकबे की पुनः सही पैमाईश करवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अलवर को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि रकबे की सही पैमाईश करके पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11.12.24

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)